राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी आई•ए•एस•)

प्रकरण संख्या 58/2017 अपील

उनवान

1. श्रीमती लेहरी पुत्री रामदास पत्नी श्रवण दास कामड़ (बलाई) निवासी दौलतगढ़ हाल मु0 धोली तहसील आसीन्द
2. श्रीमती सोहनी पुत्री रामदास कामड़ निवासी दौलतगढ़ हाल मु0 धोली तहसील आसीन्द

–अपीलार्थी

1. श्री हीरादास पिता गोरू मु0 रामदास कामड़ (बलाई) निवासी दौलतगढ़ हा0मु0 बड़ली तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
2. श्री मोती पिता मोहनलाल रेगर निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बमामला विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द क्र0 01 दिनांक 26.05.1992 नामांतरकरण सं0 1008 दिनांक 26.05.1992

निर्णय

दिनांक :– 31.10.2018

अपीलान्तर्गत मामलें में ग्राम दौलतगढ़ तहसील आसीन्द में स्थित साबिक कृषि आराजी नं0 3085 रकबा 62 बीघा 11 बिस्वा में से 03 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थीयागण की माता श्रीमती झमकु बेवा रामदास के नाम पर आवंटन हुई मौके पर कब्जा सिपूर्द किया तथा आवंटन भूमि को नामांतकरण सं0 201 दिनांक 24.04.1971 में जरिए बट्टा नं0 3191/3085 रकबा 03 बीघा के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई। सेटलमेंट के पश्चात उक्त भूमि के नये नं. आ0सं0 3075 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आ0सं0 3076 रकबा 00.11 हैक्टेयर, आ0 सं0 3077 रकबा 00.10 हैक्टेयर, आ0सं0 3078 रकबा 00.26 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई। उपरोक्त साबिक आ0सं0 3191/3085 रकबा 03 बीघा भूमि अपीलार्थीयागण की माता श्रीमती झमकु बेवा रामदास कामड के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज थी जिसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामांतकरण मृतक झमकु बेवा रामदास की जायन्दा पुत्रियां लेहरी, सोहनी व कंकु के नाम पर खोला जाकर स्वीकृत किया जाना चाहिए था किन्तु उक्त भूमि की विरासत का नामांतकरण प्रत्यर्थी सं0 01 ने राजस्व केम्प में अपने आपकों झमकु बेवा रामदास का गोदपुत्र बताकर राजस्व केम्प में आवेदन प्रस्तुत कर मिलीभगत कर तहसीलदार आसीन्द से आदेश प्राप्त कर केवल अपने स्वयं के बयानों के आधार पर नामांतकरण सं0 1008 दिनांक 26.05.1992 को स्वीकृत करवा प्रमाणित करवा कर उक्त भूमि को अपने नाम पर अंकित करवा लिया

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

व हाल ही में उक्त भूमि को प्रत्यर्थी सं. 01 ने प्रत्यर्थी सं. 02 मोती पुत्र मोहन रेगर को 30.06.2017 को विक्रय कर दी जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को गांव के पडौसियों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई उक्त भूमि विक्रय हो गई है जिससें अपीलाथीयागण ने पुराना राजस्व रेकॉर्ड प्राप्त किया व नामांतकरण सं0 1008 निर्णय दिनांक 26.05.1992 की नकल दिनांक 11.08.2017 को प्राप्त हुई व उसी दिन प्रत्यर्थी सं0 02 द्वारा कब्जा लेने की धमकी दी जिससे उक्त विवादित आदेश एवं नामांतकरण सं0 1008 निर्णय दिनांक 26.05.1992 की जानकारी हुई जानकारी होते ही अपीलार्थीयागण की ओर से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय विद्वान तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित आदेश क्रमांक 01 दिनांक 26.05.1992 एवं उसके आधार पर निर्णित नामांतरण सं0 1008 निर्णय दिनांक 26.05.1992 अवैध होकर निरस्त व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने लायक है। यह कि अपीलार्थीया की माता के नाम पर आवंटनशुदा भूमि आ0सं0 3191/3085 रकबा 03 बीघा भूमि खातेदारी अधिकार के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। अधिनस्थ तहसीलदार आसीन्द द्वारा मृतक झमकु बेवा रामदास की जायन्दा पुत्रियां लेहरी, सोहनी व कंकु के नाम पर अंकित किया जाना चाहिए था व उन्ही के नाम पर निर्णित होकर प्रमाणित किया जाना चाहिए था, उसके बावजुद अधिनस्थ तहसीलदार आसीन्द द्वारा बिना किसी जांच व तहकीकात किये व बिना जानकारी किये ही प्रत्यर्थी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व बयानों को आधार मानते हुए विरासत का नामांतकरण मृतक झमकु का हीरादास न तो पुत्र था एवं न ही गोदपुत्र था। बिना किसी भी दस्तावेज के विरासत का नामांतकरण हीरादास मु0 रामदास के रूप में गलत अंकन कर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसकी बिना किसी जांच व तहकीकात के ही तहसीलदार आसीन्द अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत करवा दिया जो कि अवैध होकर त्रुटिपूर्ण है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामांतकरण सं0 1008 दिनांक 26.05.1992 निरस्त होने लायक है। अपील को मियाद मे सुमार हेतु दफा 5 का आवेदन अलग से प्रस्तुत है। अपील अपीलार्थीयागण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा राजस्व कैम्प में पारित आदेश क्रमांक व नामांतकरण सं0 1008 निर्णय दिनांक 26.05.1992 को निरस्त किया जाकर ग्राम दौलतगढ़ की वर्तमान कृषि आ0सं0 3075, 3076, 3077, 3078 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि में अपीलार्थीगणका नाम अंकित कराया जावे।

अपीलार्थीगण की अपील दिनांक 15.09.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से रेस्पोडेन्ट का दिनांक 06.06.2018 को जवाब बंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 18.12.2017 को प्राप्त हुई।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता के बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमो मे अंकित बिन्दुओं के तथ्यों को दोहराते हुए अपील

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

स्वीकार कराई जाने की प्रार्थना की है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की ग्राम दौलतगढ़ के नामांतकरण सं0 1008 राजस्व अभियान के दौरान तहसीलदार के आदेश क्रमांक 01 दिनांक 26.05.1992 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया एवं तहसीलदार आसीन्द द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी की अपील निरस्त कराई जाए।

अपीलार्थीगण की अपील का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम दौलतगढ़ के नामांतकरण सं. 1008 का परीक्षण किया गया। झमकु बेवा रामदास कामड़ के फोत होने पर विरासत के नामांतकरण हेतु हीरादास ने एक आवेदन पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभियान केन्द्र, दौलतगढ के समक्ष दिनांक 26.05.1992 को प्रस्तुत किया। इस आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट अंकित की है "मु0 झमकु बेवा रामदास कामड़ की जायन्दा तीन पुत्रियां लेहरी, सोहनी, कंकु मौजूद है जो ससुराल में रहती है। जानकारी अनुसार मु0 झमकु के फोत होने के बाद रस्म रिवाज के मुताबिक सभी प्रकार की प्रकिया भी हीरादास ने की है। लिखतम में कोई तहरीर नहीं है। श्री हीरादास मु. झमकु के पति श्री रामदास की बहिन मु0 छोटी का जायन्दा लड़का है। अब मु0 झमकु की खाते की भूमि श्री हीरादास अपने नाम पर करवाना चाहता है।" इस रिपोर्ट पर तहसीलदार आसीन्द ने पटवारी हल्का दौलतगढ़ को नियमानुसार बयान लेकर नामांतकरण जारी करने के आदेश दिए गए।

तहसीलदार आसीन्द ने ग्राम दौलतगढ के नामान्तरकरण सं. 108 पर मृतक झमकू बेवा रामदास कामड की जायन्दा तीन पुत्रियां लेहरी, सोहनी, कंकु मौजूद होने की जांच रिपोर्ट अंकित होने पर भी उक्त पुत्रियों का झमकू कामड की विरासत में नाम दर्ज नही करके हीरादास मुत. रामदास कामड के नाम दिनांक 26.05.1992 को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। नामान्तरकरण सं. 1008 निर्णय दिनांक 26.05.1992 को तहसीलदार आसीन्द को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर ग्राम दौलतगढ तहसील आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 1008 दिनांक 26.05.1992 को अपास्त किया जाता है। तहसीदार आसीन्द को नामान्तरकण 1008 को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि झमकू बेवा रामदास कामड मुकिन देह कि विरासत कार्यवाही में पक्षकारान् की पुनः सुनवाई की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक ३१ .10.2018 को लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा